

कार्यालय नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज0)

क्रमांक:- 8188

दिनांक:- 12-2-16

भवन निर्माण स्वीकृति रिन्गू प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द कुमार पल्लीवाल पुत्र स्व0 श्री गुलाब चन्द पल्लीवाल निवासी स्टेशन रोड वार्ड नं 23 गंगापुर सिटी ने नगर परिषद गंगापुर सिटी से व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 16.06.2014 को प्राप्त की थी। जिसकी स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 25/2014-2015 /669 है। जिसका आवेदन संख्या 2987 दिनांक 29.05.2014 है। लेकिन प्रार्थी द्वारा व्यावसायिक भवन निर्माण नहीं किये जाने के कारण नगर परिषद की ओर से नये नियमों के तहत उक्त व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति को दिनांक 15.06.2019 तक के लिये रिन्गू की जाती है।

अतः यह व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति प्रमाण पत्र आवेदक की मांग पर आज दिनांक 12-02-16 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा में जारी किया गया है।

आयुक्त
नगर परिषद गंगापुर सिटी
नगर परिषद गंगापुर सिटी

कार्यालय नगर पालिका, गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर

अनुसूची - 3 उपविधि संख्या - 8

(न० पा० अधि 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत)

भवन निर्माण स्वीकृति प्रपत्र

प्रेषिती अरविन्द कुमार पल्लीवाल 5/

स्व० श्री गुलाब चन्द पल्लीवाल

वर्ष 23, एरेशन रोड
गंगापुर सिटी

दिनांक 16/06/2014

स्वीकृति क्रमांक 669

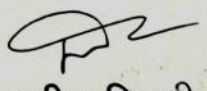
प्रिय महोदय,

नगर पालिका, गंगापुर सिटी सीमा के भीतर वार्ड नं० 23 में स्थित व्यवसायिक/

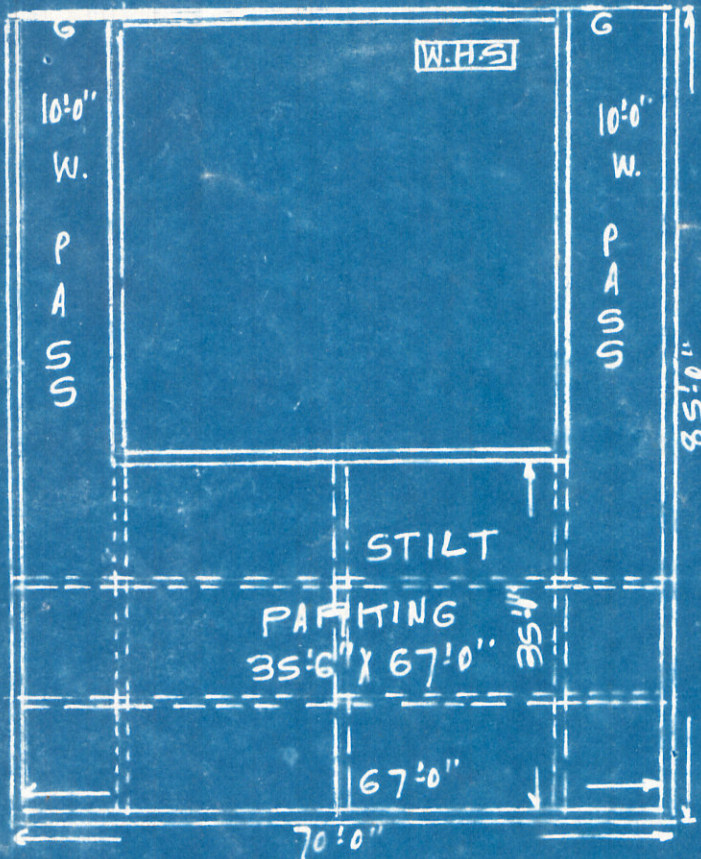
आवासीय भूखण्ड/ भवन संख्या.....पर नया भवन निर्मित करने/ भवन को पुनर्निर्मित करने/मकान के किसी क्षतिग्रस्त भाग को निर्मित या पुनः निर्मित करने/ किसी भी प्रकार की कुआं बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने के लिए आपका आवेदन सं० 2987 दिनांक 29/05/14 निम्न उपबंधों पर स्वीकृति करते हुए निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

1. निर्माण कार्य इसके साथ संलग्न यथाविधि पृष्ठांकित तथा हस्ताक्षरित नक्शों। सशोधित नक्शे के अनुसार किया जायेगा।
2. निर्माण के निम्नांकित चरणों पर आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी को सूचना दी जावेगी।
 - (1) कार्य आरम्भ होने पर न० पा० गंगापुर सिटी भवन उपविधियां 1973 के साथ संलग्न अनुसूची 2 में।
 - (2) कुर्सी के ऊँचाई निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर तथा भवन का उपर का ढांचा खड़ा करने से पूर्व न० पा० गंगापुर सिटी उप विधियां 1973 की अनुसूची में 5।
 - (3) कार्य पूर्णतः पूर्ण हो जाने पर उक्त उप-विधियों की अनुसूची 7 में।
3. मौके के किसी भी और विद्यमान चालू (1) विद्युत लाईन डेढ मीटर के अन्दर भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. सैट बैंक के नियम के प्रवृत्त होने के परिणाम स्वरूप खाली की गई भूमि सार्वजनिक रास्ते का ही अंग होगी।
5. भवन का परिनिर्माण या निर्माण कार्य का निष्पादन इस स्वीकृति को तारीख से एक वर्ष के अन्दर- अन्दर आरम्भ कर दिया जायेगा। और आरम्भ करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि निर्माण कार्य पूर्वोक्त अवधि में पूर्ण न हो, तो अनुज्ञा पत्र की उपविधि के अनुसार पुनः वैधता करना होगा।
6. अन्य शर्तें यदि कोई हो स्वामित्व विवाद स्थिति में निर्माण स्वीकृति मान्य नहीं होगा।
7. संलग्न मानचित्र में निर्धारित स्थान पर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना आवश्यक होगा। अन्यथा स्वीकृति को निरस्त करने का पालिका को अधिकार होगा।
8. मुझे यह कहने का निर्देश मिला है कि स्वीकृति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के साथ गठित उप विधि सं० 8 के अधीन दी गई है और उक्त स्वीकृति सरकार नगर पालिका, परिषद या नगर सुधार न्यास या किसी भी अन्य स्थानीय संस्था या किसी प्राईवेट व्यक्ति या फर्म अधिकारों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है।

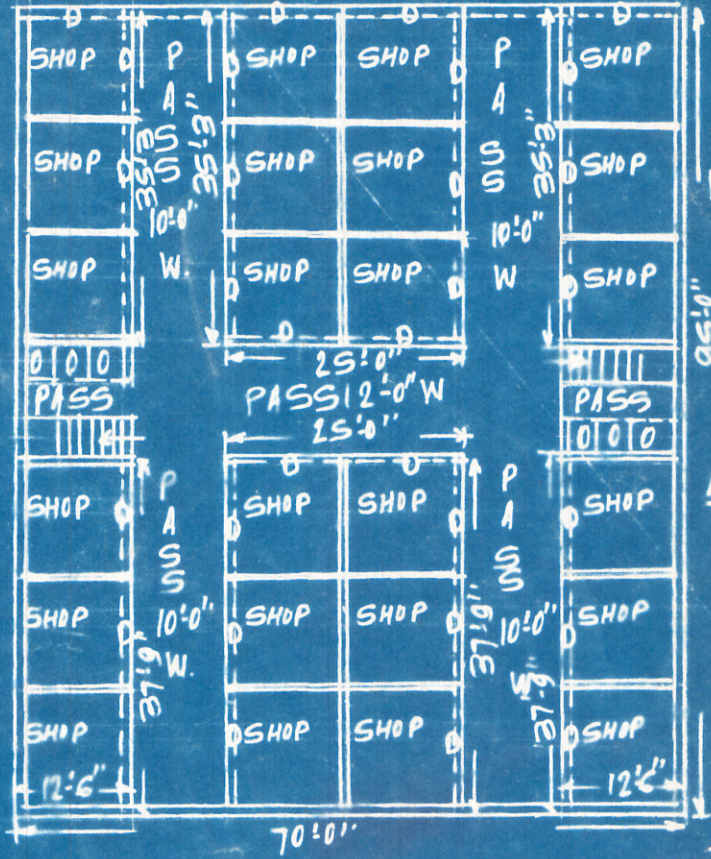
संलग्न- भवन निर्माण हेतु अनुमोदित नक्शा।


अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, गंगापुर सिटी

APPLICANT: SHRI ARVIND KUMAR PALLIWAAL S/O L. SHRI GULAB CHAND PALLIWAAL
AT W. NO-23, STATION ROAD, GANGAPUR CITY



PROPOSED BASEMENT PLAN.



PROPOSED GROUND FLOOR PLAN

SCALE
1"=20'

AREA-
552.77 SMT

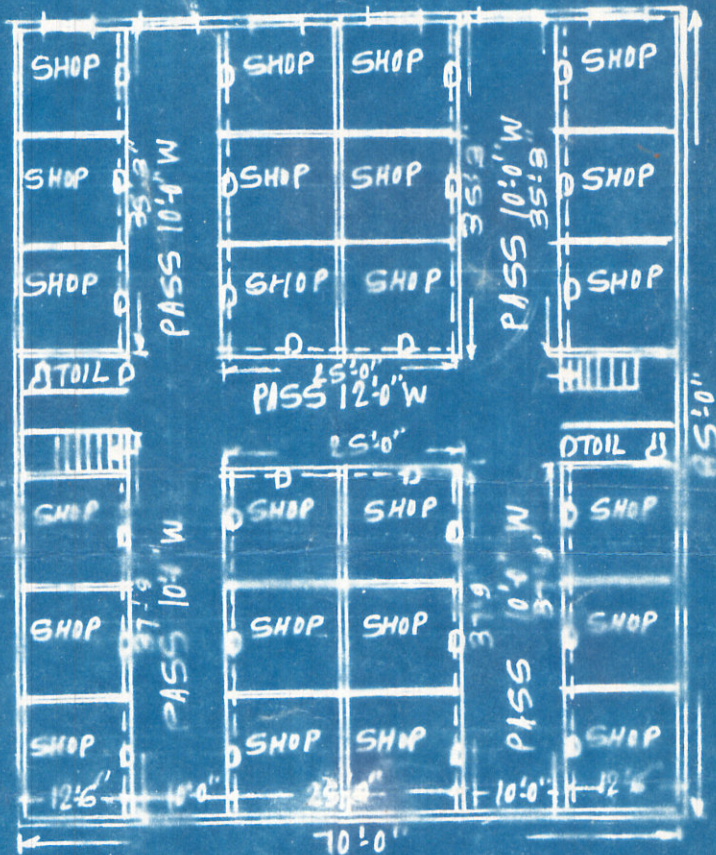
ROAD TO RAILWAY STATION

L. SELF 17'6" WIDE

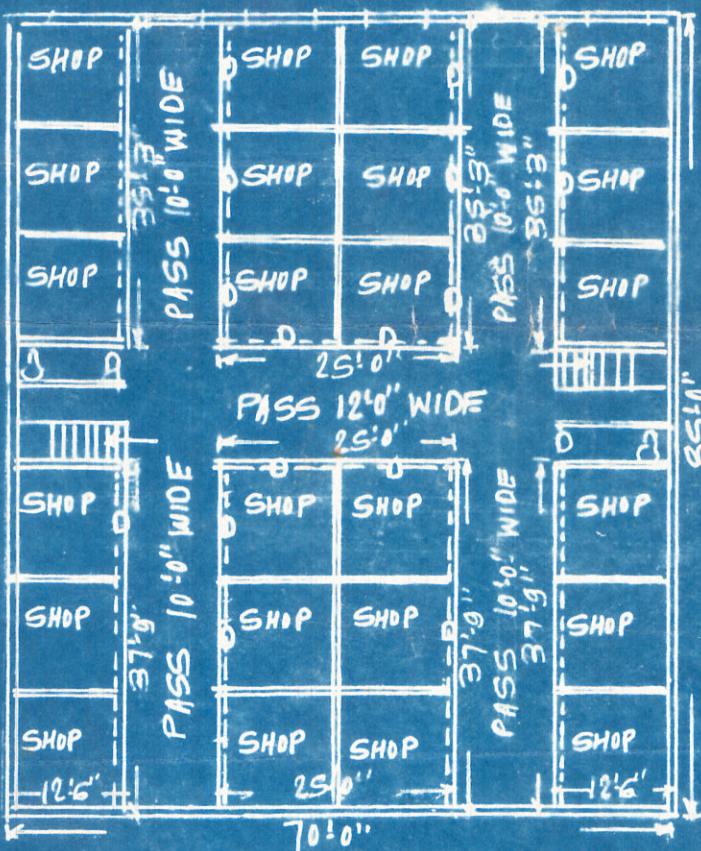


SITE PLAN

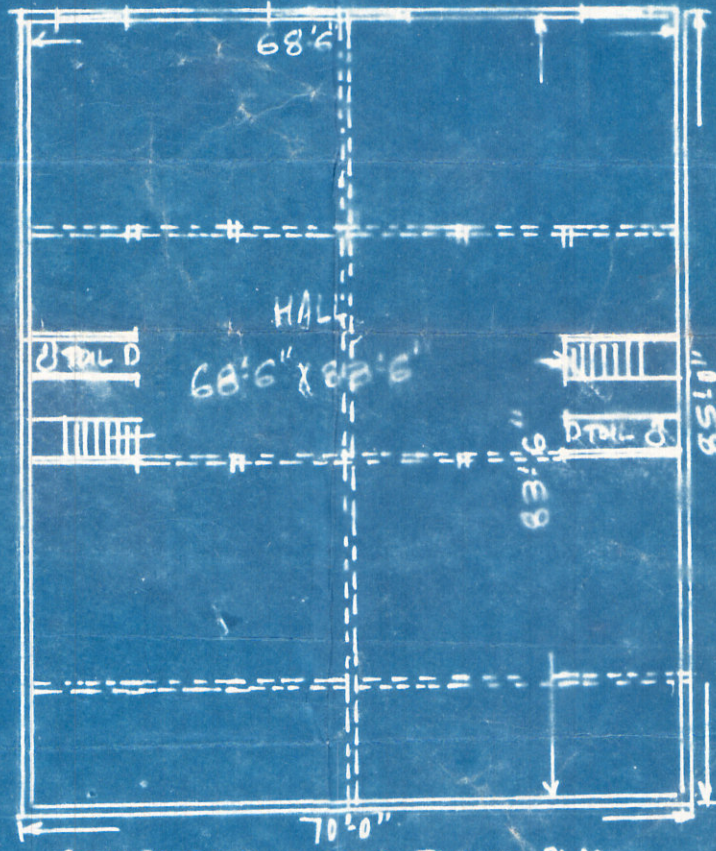
L. SELF 17'6" WIDE



PROPOSED FIRST FLOOR PLAN



PROPOSED SECOND FLOOR PLAN



PROPOSED THIRD FLOOR PLAN

Arvind Palliwal

APPLICANT.

Palliwal

कनिष्ठ अधिकारी
नगर परिषद, गंगपुर सिटी

Arvind

आयुक्त
नगर परिषद, गंगपुर सिटी

Arvind

सभापति
नगर परिषद, गंगपुर सिटी

APPROVED

BY

कार्यालय नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर(राज0)

क्रमांक:- 469

दिनांक:- 21-1-19

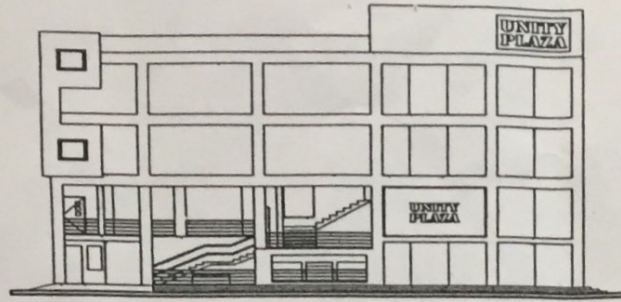
भवन निर्माण सेक्शन एवं एलिवेशन नक्शा स्वीकृति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द कुमार पल्लीवाल पुत्र स्व0 श्री गुलाब चंद पल्लीवाल निवासी स्टेशन रोड़ वार्ड नं0 23 गंगापुर सिटी ने नगर परिषद गंगापुर सिटी से व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 16-6-2014 को प्राप्त की थी। जिसकी स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 25/2014-2015/669 है। जिसका आवेदन संख्या 2987 दिनांक 29-05-2014 है। प्रार्थी के लिये व्यावसायिक भवन निर्माण की सेक्शन एवं एलिवेशन नक्शा प्रमाण पत्र नगर परिषद की ओर से आज दिनांक 21-1-2019 को जारी की जाती है।

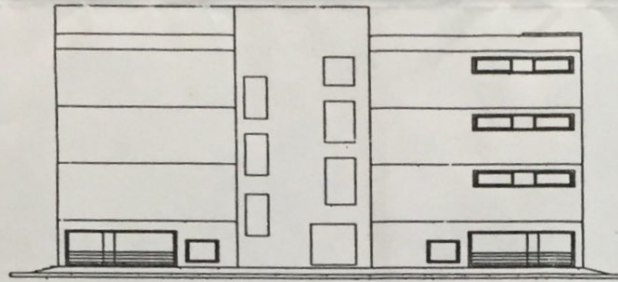
अतः यह व्यावसायिक भवन निर्माण की सेक्शन एवं एलिवेशन स्वीकृति प्रमाण पत्र आवेदक की मांग पर आज दिनांक 21-1-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा में जारी किया गया है।

M/s-UNITY INFRA TECK
साजिद अली
Partner

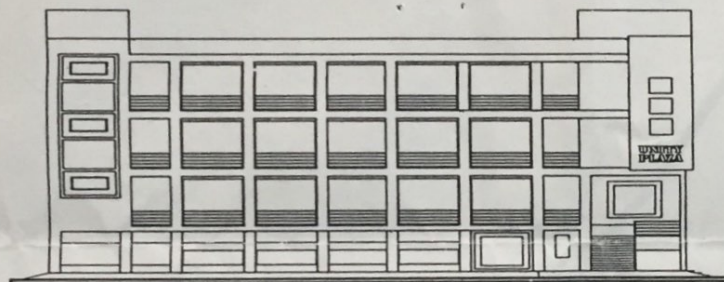
आयुक्त आयुक्त
नगर परिषद, गंगापुर सिटी
नगर परिषद गंगापुर सिटी



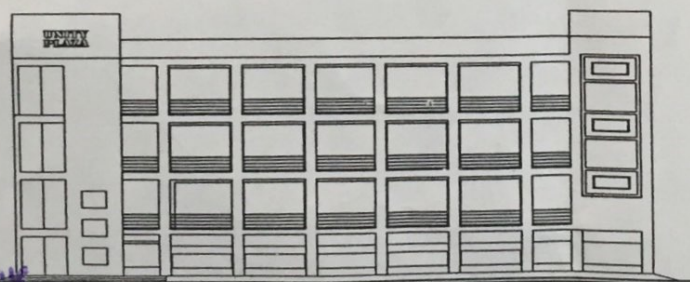
FRONT ELEVATION



REAR ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION

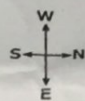


RIGHT SIDE ELEVATION

M/S. UNITY INERATECH
20/03/2014

Partner

PROPOSED SHOPS AT W.NO.23
STATION ROAD GANGAPUR CITY
APPLICANT
SHRI ARVIND KUMAR PALLIWAL
S/O. L. SHRI GULAB CHAND PALLIWAL



DATED:
28 MAY 2014

SCALE
1" = 24'

H K MITTAL
Architectural Engineer
W/059996/19

30/05/2014
APPLICANT

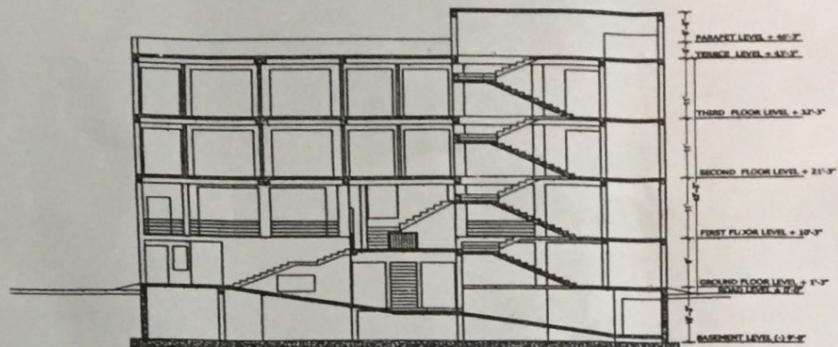
पंकज सीना
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद, गंगापूर सिटी

जायकता
नगर परिषद, गंगापूर सिटी
APPROVED BY

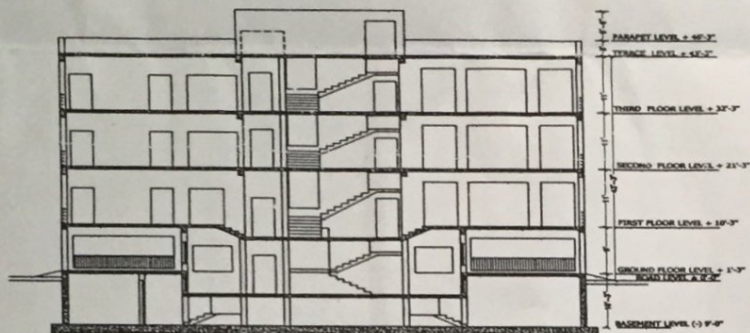
AREA
552.77 S.MT

NOTES:
1. MAXIMUM BUILDING HEIGHT WILL BE 15 METRES.
2. DRAWINGS TO BE RATIFIED BY OWNER FOR BUILDING PERMIT.
3. OBTAINING ALL STATUTORY APPROVALS ARE OWNER'S/DEVELOPER'S OBLIGATION FOR EXECUTION ON SITE.

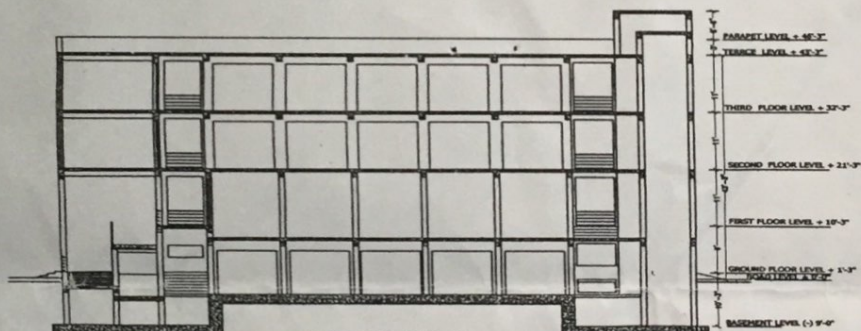
30/05/2014
नगर परिषद, गंगापूर सिटी
CHKD BY



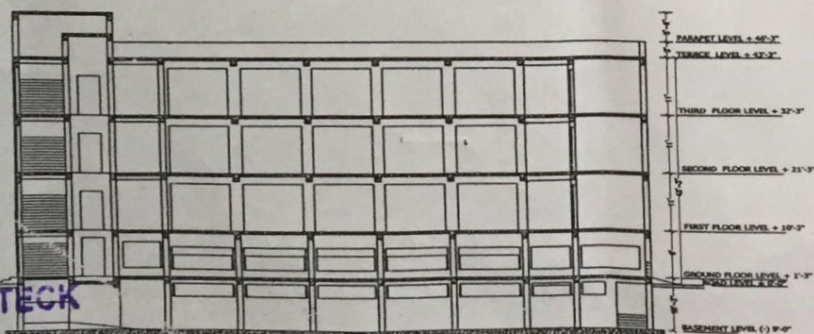
SECTION AT 1-1'



SECTION AT 2-2'



SECTION AT 3-3'



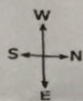
SECTION AT 4-4'

M/s-UNITY INFRATECK

पं. जे. उ. शिंदे

Partner

PROPOSED SHOPS AT W.NO.23
STATION ROAD GANGAPUR CITY
APPLICANT
SHRI ARVIND KUMAR PALLIWAL
S/O. L. SHRI GULAB CHAND PALLIWAL



DATED:
28 MAY 2014

SCALE
1" = 24'

H K MITTAL
Architectural Engineer
M/059996/9
ARCHITECTURAL
ENGINEER

APPLICANT

पं. जे. उ. शिंदे
क. उ. अभियन्ता
नगर पालिका, गंगापूर सिटी

आयुक्त
नगर पालिका, गंगापूर सिटी

CHKD BY

AREA
552.77 S.MT.

NOTES:
1. MAXIMUM BUILDING HEIGHT WILL BE 15 METRES.
2. DRAWINGS TO BE RATIFIED BY OWNER FOR BUILDING PERMIT.
3. OBTAINING ALL STATUTORY APPROVALS ARE OWNER'S/DEVELOPER'S OBLIGATION FOR EXECUTION ON SITE.